

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक 869 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 /

दिनांक 27/09 / 2017

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर युमना वन प्रभाग
बडकोट।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 418/12-1 दिनांक बडकोट अगस्त 16, 2017 एवं 3013/12-1, दिनांक 21.06.2017 तथा ऑनलाईन ई0डी0एस0 क्वेरी दिनांक 117.06.2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/11303/2015 में लगाई गई ई0डी0एस0 क्वेरी में बिन्दु सं0 01 एवं 05 का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है। शेष अन्य बिन्दुओं 02, 03, 04 एवं 06 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है एवं हार्ड प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है-

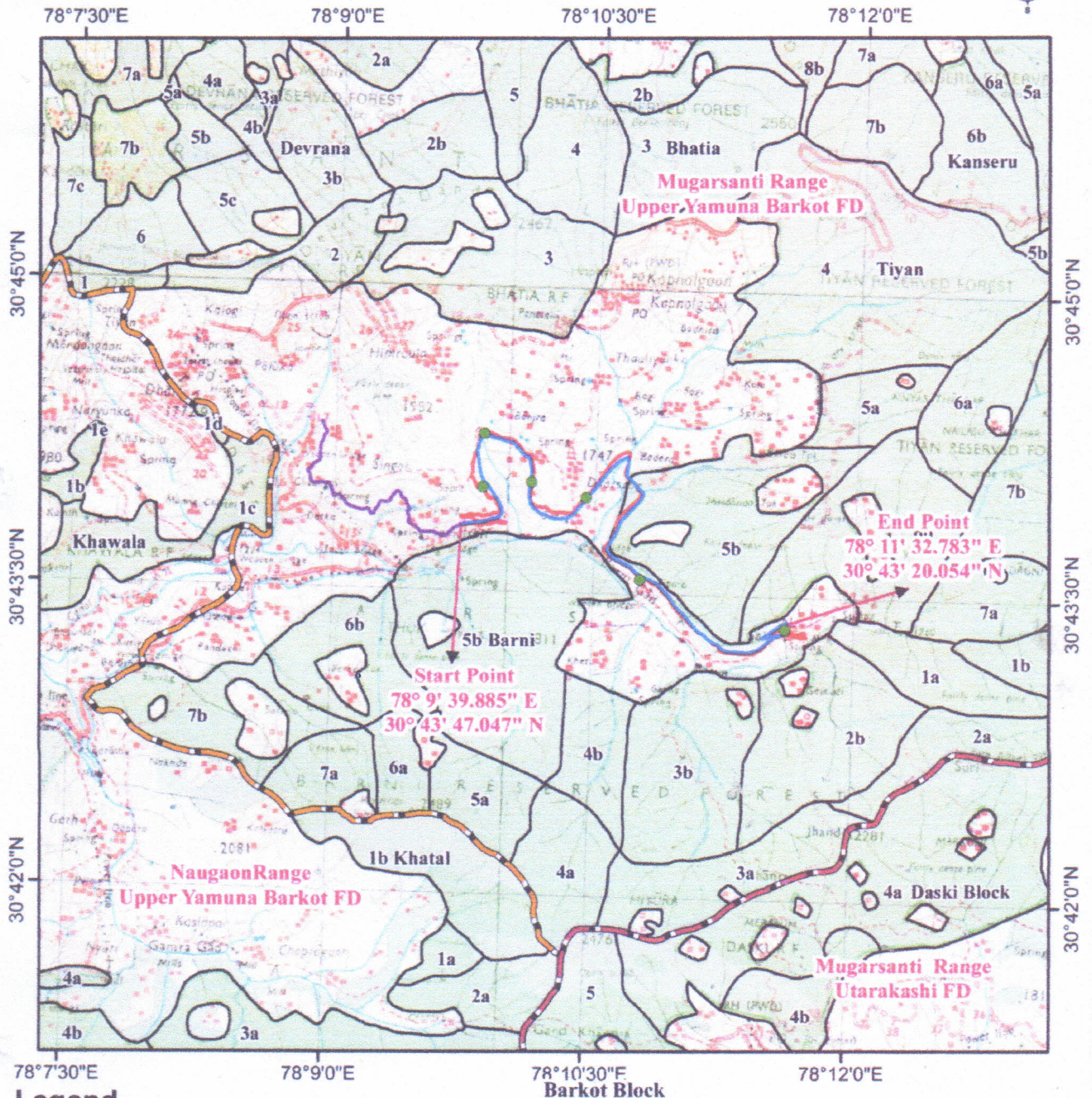
क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	Rcommendation and SIR of DFO are erroneous. Kindly upload proper recommendation and SIR in corresponding section menu it self.	इस क्वेरी का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
2	Digital map of CA on SOI Toposheet not provided at serial no 13-ii	पार्ट-1 के सिरियल नं0 13-ii में सी0ए0 का डिजिटल मैप व टोपोसीट अपलोड कर दी गई है।
3	Toposheet for CA not uploaded to serial no 13-iii on form A part 2	पार्ट-1 के सिरियल नं0 13-iii में सी0ए0 की टोपोसीट अपलोड की जा चुकी है।
4	Land suitability certificate given is erroneous	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संशोधित कर यथास्थान अपलोड किया जा चुका है।
5	The CA stipulated in district profile in part II is not correctly filled.	यह क्वेरी पार्ट-2 की है। अतः क्वेरी का निराकरण भी आपके स्तर से किया जाना है।
6	The CA scheme given in serial no 13 is erroneous.	पार्ट-1 के सिरियल नं0 13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना को संशोधित कर सभी प्रपत्र अपलोड किये जा चुके हैं।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

डिजिटल मानचित्र – जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 2 Km



Legend

- Dumping Zone
- Proposed road
- Alternate Road
- Existing Road
- Division Boundary
- Forest Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बीबाव – उत्तरकाशी

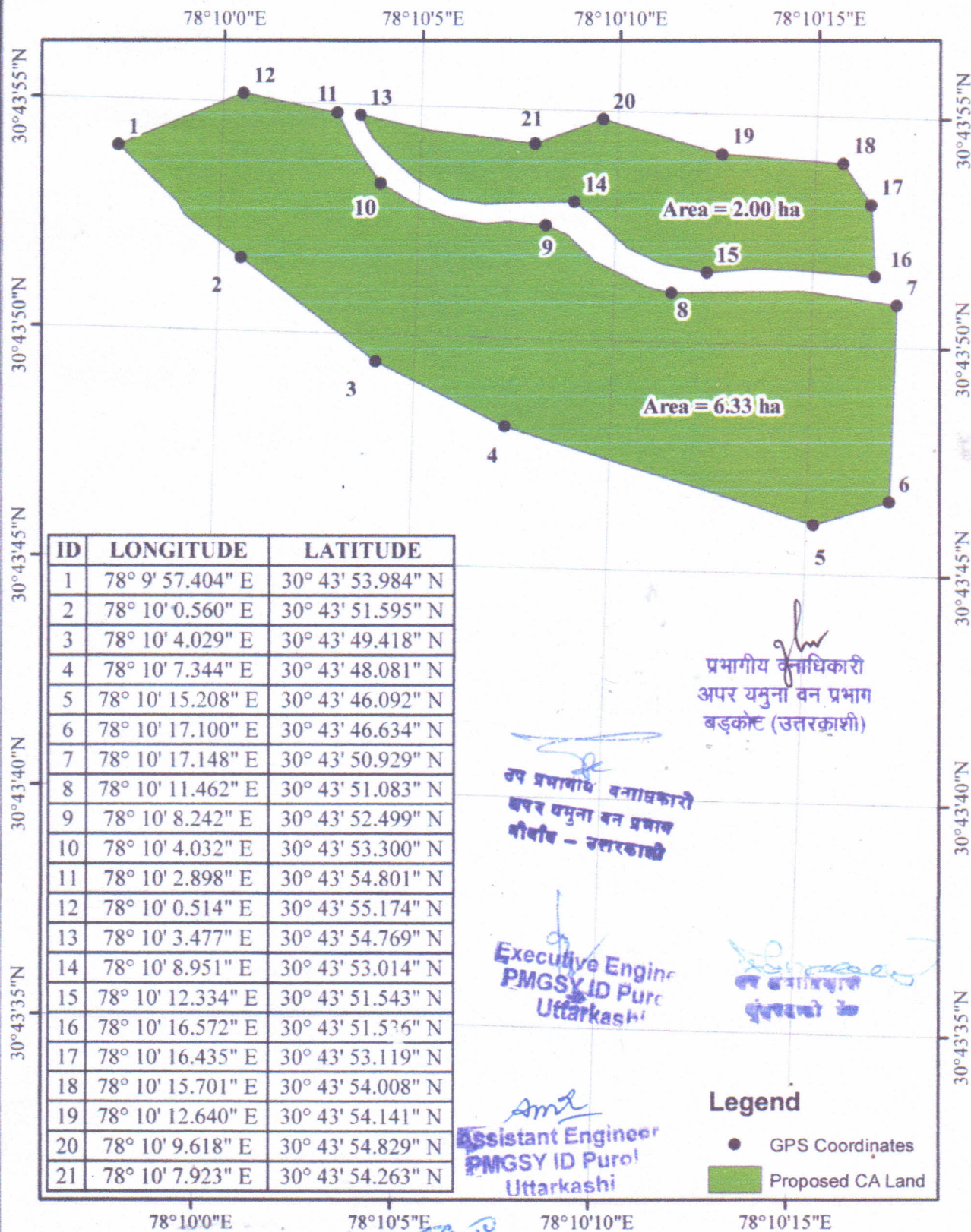
Assistant Engineer
PMGSY ID Puroila
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Puroila
Uttarkashi

जीयोरफेरेंस मैप – जीयोरफेरेंस मैप – जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल धारस्युं **सिविल सोयम (क्षे0-8.33 है0)**

0 65 130 260 M

Scale - 1:3,500



0 0.5 1 2 Km सिविल सोयम (क्षे0-8.33है0) SOI Toposheet No. - 53J/02



-  Proposed CA Land
 Division Boundary
 Forest Range Boundary
 Reserve Forest Boundary
 Reserve Forest Area

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट (उत्तरकाशी)

उप प्रधान & वनाधिकारी
अपर जमुना वन प्रभाव
बीबी - उत्तरकाशी

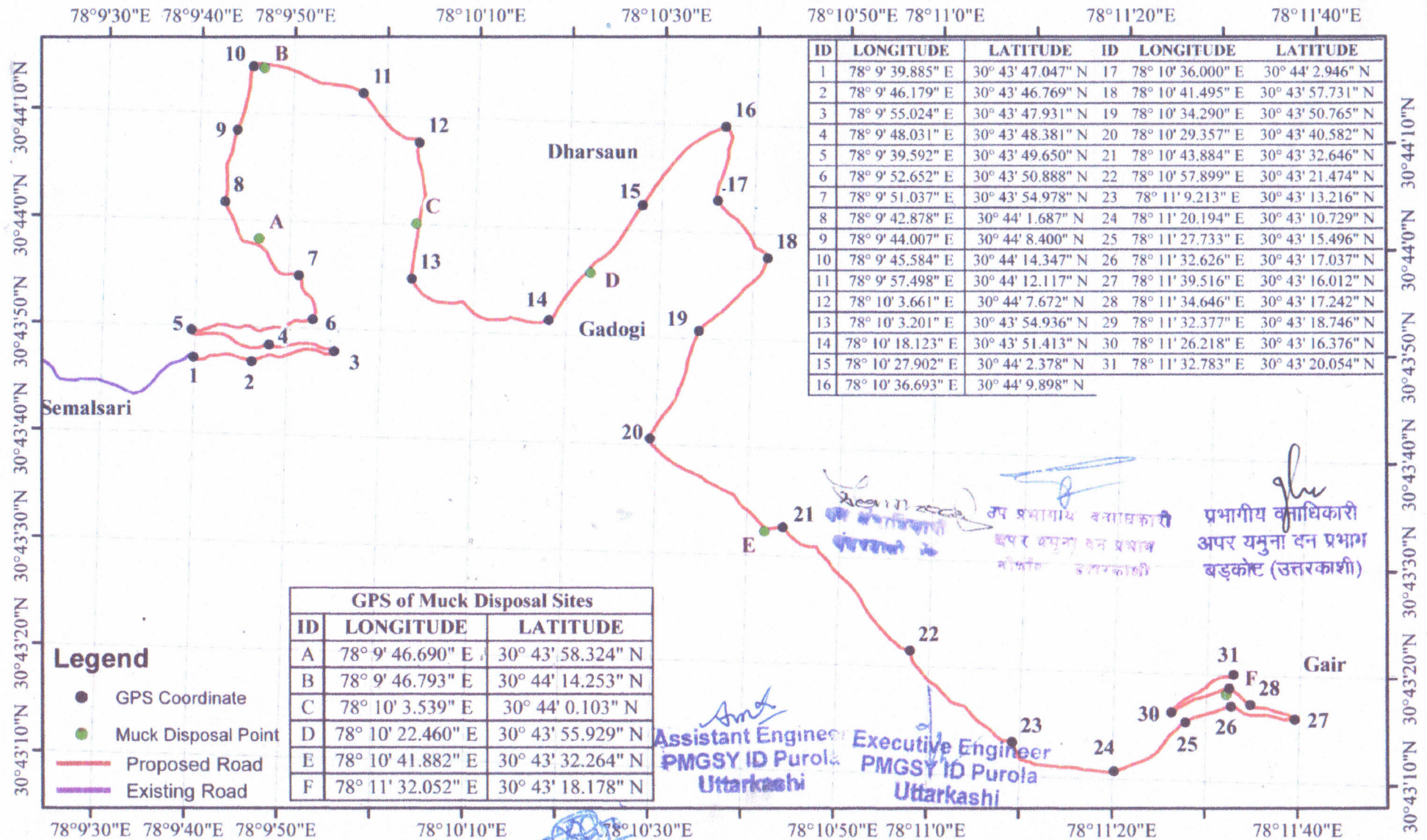
Assistant Engineer,
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Executive Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

0 0.175 0.35 0.7
KM

Scale - 1:14,500

जीयोरेफेरेंस मैप - जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



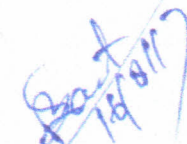
परियोजना का नाम :-

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव
में सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव में सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि खसरा नं० 2693, 2924, 2681 मध्य, 2680 मध्य, रक्वा क्रमशः 2.136 है०, 2.502 है०, 2.000 है०, 1.692 है०, कुल रक्वा 8.330 है० उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड 9(3)ड में दर्ज है तथा यह भूमि राजस्व विभाग बड़कोट के स्वामित्व में है तथा इस भूमि पर किसी प्रकार का कानूनी वाद नहीं है।


पटवारी दारो


तहसीलदार
बड़कोट


उपजिलाधिकारी
बड़कोट


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिसारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम :- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज- 8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लम्बाई कि०मी० 8.400)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग (8.40 कि०मी०) नव निर्माण हेतु जिसका सिविल सोयम एवं आरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 4.1650 है० के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 8.330 है० अनवरत सिविल एवं सोयम भूमि मौजा दारसौं 8.330 है० में क्षतिपूरक हेतु उपर्युक्त है।

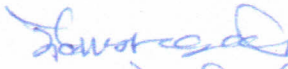

J.E.


Anil Singh
प्रमुख जिलाधिकारी
(वन)


Anil Singh
प्रमुख जिलाधिकारी
(वन)

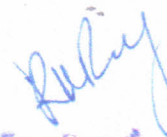

2/830 नई
44/64


प्रमुख जिलाधिकारी
(वन)


वन सेवाधिकारी
गुगरसती राबि


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)


उप जिलाधिकारी
बड़कोट, उत्तरकाशी।

2

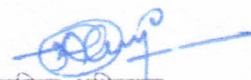
परियोजना का नाम :-

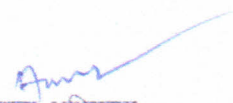
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव

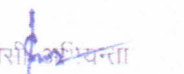
में सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग का निर्माण।

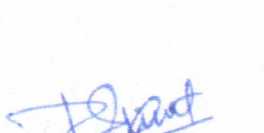
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित सिविल एवं सोयम भूमि का विवरण

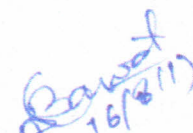
क्र० सं०	जिला	पंरगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता सं०	भूमि का विवरण		
							खसरा नं०	कुल रक्बा (है०)	अर्जित रक्बा (है०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सिविल सोयम									
	उत्तरकाशी	बडकोट	मुगरसन्ती	बडकोट	दारसौ		2693	2.136	2.136
							2924	2.502	2.502
							2681 मध्य	2.000	2.000
							2680 मध्य	1.692	1.692
योग								8.330	8.330


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


अधिशास्त्री अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०
पुरोला (उत्तरकाशी)


पटवारी / दारको
रा. उ. नि.


तहसीलदार
बडकोट


उपजिलाधिकारी
बडकोट

परियोजना का नाम— जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना पेज— 8 के अन्तर्गत सिमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

(लम्बाई किमी 8.400)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम— **दारसौ खिविल सोयन** वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल — 8.330 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या — 2000 पौध प्र० है०

मुंगरसती राजि

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ईकाई	मात्रा	दर	घनराशी
	अग्रिम मृदा कार्य				
1.	सर्वे एवं सीमांकन	प्र० है०	8.330	120	999.60
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्र० है०	8.330	1578	13144.74
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिंग) प्र० है० 84 घ०मी०	प्र० घ० मी०	699.72	256	179178.32
4.	अग्रिम मृदा कार्य (0.30X0.30X0.45)	प्र० गड्ढा	16660	7.00	116620.00
5.	निरीक्षण बटिया बनाना	प्र० है०	8.330	485	4040.05
6.	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	प्र० पौध	16660	5.93	98793.38
7.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र औजार तेज करना	ल०स०	8.330	489	489.00
8.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण (10 है० को आधार मनाते हुये) परकुलेशन टैंक (वर्षा जल संरक्षण)	प्र० है०	8.330	9150	76219.50
1.	प्रथम चरण योग—				489484.59
1.	गड्ढा भरान कार्य	प्र० गड्ढा	16660	1.26	20991.60
2.	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्र० पौध	16660	1.05	17493.00
3.	पौधों ढुलान कार्य	प्र० पौध	16660	6.50	108290.00
4.	पौधारोपण व थालबन्दी	प्र० पौध	16660	2.74	45648.40
5.	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	प्र० पौध	16660	2.96	49313.60
6.	खाद व दवा पर व्यय	प्र० सै० पौध	16660	0.21	3498.60
7.	देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह (कम से कम 10 है० पर)	प्र० है०	8.330	6183	51504.39
8.	8.1 वृक्षा रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील	प्र० है०	8330	367	3057.11
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर चार मीटर चौड़ी पट्टी साफ करना	प्र० है०	8330	277	2307.41
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना—				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य को प्रचार प्रसार एवं डेक्क्यूमेन्ट आदि कार्य	प्र० है०	8330	1327	11053.91
	द्वितीय चरण योग —				320371.18
	तृतीय वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं	प्र० है०	8.330	367	3057.11

	ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०				
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
	तृतीय चरण योग -				81250.82
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्र० है०	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण में लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
	तृतीय चरण योग -				81250.82
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8.330	8244	68672.52
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों की प्रोत्साहन देना	प्र० है०			
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.32
	चतुर्थ चरण योग-				81250.82
	पंचम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है० आधार मानकर)	प्र० है०	8244	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	प्र० है०	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	प्र० है०	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	प्र० है०			
	अ. प्रशिक्षण	प्र० है०	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र० है०	8.330	289	2407.37
	पंचम चरण योग-				81250.82

षष्ठम वर्ष अनुरक्षण					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना-				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	षष्ठम चरण योग-				81250.82
सप्तम वर्ष अनुरक्षण					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	289	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	सप्तम चरण योग-				81250.82
अष्टम वर्ष अनुरक्षण					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	289	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	अष्टम चरण योग-				81250.82

	नवम वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष उपरान्त वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के घास फूस, एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.37
	नवम चरण योग-				81250.82
	दशवां वर्ष अनुरक्षण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्र0 है0	8.330	8244	68672.52
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	प्र0 है0	8.330	367	3057.11
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	प्र0 है0	8.330	277	2307.41
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	प्र0 है0 प्र	8.330	577	4806.41
	ब. प्रोत्साहन	प्र0 है0	8.330	289	2407.31
	दसवां चरण योग-				81250.82
	प्रथम चरण से दसवां चरण का योग-				1459862.33

प्रमुख वन सरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्धारित रट अनुसार- 19.18,416 = ० देय,

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दश वर्षीय आगणित कुल राशि- प्रति रु0 1459862.33

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल - 4.1650 है0

दुगने क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशी रु0 1459862.33

प्रमुख वन सरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून का फॉर्म- 596/3-5-2 दि 19-8-2015 के अनुसार निर्धारित गति हेतु दर 2.30,302 = ०० X 8.33 के अनुसार रु 19,18,416 = ० देय ।

कविवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
डीबाँव - उत्तरकाशी